प्रेस विज्ञप्ति

जनपद-बस्ती

दिनांक-16.11.2020

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा थाना कलवारी ग्राम कैथवलिया में हुए सनसनी खेज हत्या की घटना का 15 घण्टे के अन्दर अनावरण बाद मुठभेड अभियुक्त हुआ गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री हेमराज मीना के आदेश के क्रम में जनपद बस्ती में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री रवीन्द्र कुमार सिंह के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी कलवारी श्री अनिल कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में SOG प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश मिश्र,सर्विलांस प्रभारी श्री जितेन्द्र सिंह व थाना कलवारी पुलिस के संयुक्त टीम कार्यवाही में थाना कलवारी पर ***दिनांक 15.11.2020 को मु0अ0सं0 218/2020 धारा 302,201 IPC बनाम अज्ञात*** से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त को आज दिनांक 16.11.2020 को समय करीब प्रातः 5.45 बजे गायघाट से सिकन्दरपुर रोड पर मुठभेड के दौरान गिरफ्तार किया गया। मुठभेड के दौरान अभियुक्त भालचन्द्र यादव पुत्र जोखू यादव ग्राम तिघरा थाना लालगंज जनपद बस्ती द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया,जिसमें SOG टीम के आरक्षी दिलीप कुमार के दाये हाथ में गोली लगने से घायल हो गया, पुलिस टीम के जबाबी फायर में अभियुक्त के भी बाये पैर में गोली लगी। अभियुक्त घायल अवस्था में उपचार के लिए CHC कुदरहा ले जाया गया,जहाँ से चिकित्सक द्वारा जिला अस्पताल बस्ती रेफर कर दिया गया।जिला चिकित्सालय में पुलिस अभिरक्षा में इलाज चल रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.भालचन्द्र यादव पुत्र जोखू यादव ग्राम तिघरा थाना लालगंज जनपद बस्ती।

बरामदगी का विवरण-

1.एक अदद अवैध तमंचा 12 बोर

2.एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 12 बोर।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादी मुकदमा प्रदीप कुमार पुत्र राम सुमेर सा0 कैथवलिया थाना कलवारी जिला बस्ती की तहरीरी सूचना,जिसमें वादी की बहन के दिनांक 10.11.2020 को दिन मंगलवार को शाम लगभग 06 से 07 बजे के बीच शौच जाने की बात कहकर घर से अपनी तथा अपने पिता की मोबाइल साथ लेकर निकली। काफी समय बीत जाने पर घर वापस नहीं आयी तो घर वालो ने काफी तलाश किया पर वह नही मिली। दिनांक 15.11.2020 को लगभग 9.15 बजे सुबह कैथवलिया गांव के बगल स्थित कब्रिस्तान में वादी की बहन का शव क्षत विक्षत हालत में पुआल से ढका पाया गया। इस सम्बन्ध में थाना कलवारी पर मु0अ0सं0 218/2020 धारा 302,201 IPC बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया।

सूचना पर मौके पर पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती श्री अनिल कुमार राय ,पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री हेमराज मीना ,अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री रवीन्द्र कुमार सिंह तथा फील्ड यूनिट द्वारा मौके पर पहुँचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। उच्चाधिकारी गण द्वारा क्षेत्राधिकारी कलवारी ,SOG प्रभारी तथा सर्विलांस प्रभारी के नेतृत्व में घटना के शीघ्र अनावरण हेतु तीन टीमों का गठन किया गया।

पूछताछ का विवरण/खुलासा-

परिजनो तथा अन्य लोगो से पूछताछ के दौरान मृतका के मोबाइल नम्बर तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण मोबाइल नम्बर प्राप्त हुए, जिनका सर्विलांस टीम द्वारा विस्लेषण करने पर तथा गाँव तथा आस पास पूछताछ के दौरान अभियुक्त भालचन्द्र यादव का नाम प्रकाश में आया । जिसको गठित टीम द्वारा आज दिनांक 16.11.2020 को समय करीब प्रातः 5.45 बजे गायघाट से सिकन्दरपुर रोड पर मुठभेड के दौरान गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मृतका के गाँव कैथवलिया में उसके मामा का घर है।जहाँ वह लॉक डाउन के बाद अप्रैल 2020 से रह रहा था उसी दरमियान मृतका से उसका सम्पर्क हुआ और उन दोनो में आपस में बात चीत होने लगी । अभियुक्त द्वारा मृतका को एक मोबाइल भी खरीद कर दिया गया था जिस पर दोनो लम्बी बात-चीत होती रहती थी। दिनांक 10.11.2020 को अभियुक्त द्वारा मृतका को उसके गाँव कैथवलिया के कब्रिस्तान में मिलने के लिए फोन कर बुलाया गया। अभियुक्त भालचन्द्र द्वारा मृतका के साथ जबरन सम्बन्ध बनाने का प्रयास किया गया तो मृतका द्वारा उसका विरोध किया गया। मृतका द्वारा शादी के उपरान्त ही सम्बन्ध बनाने की बात कही गई जिस पर दोनो के बीच कहा-सुनी होने लगी। उसी दौरान गुस्से में अभियुक्त द्वारा मृतका के सलवार से उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी तथा उसके मृत शरीर को पुआल से अच्छी तरह ढक कर फरार हो गया । जाते समय अभियुक्त द्वारा मृतका के पास से उसकी तथा उसके पिता की मोबाइल, जो मृतका अपने साथ लेकर गई थी,लेकर चला गया और अपने पास रखा रहा। शव के मिलने की सूचना मीडिया के माध्यम से प्राप्त होने पर डरकर उक्त दोनो मोबाइल मनोरमा नदी में फेंक दिया । पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा पूरी घटना को स्वीकार करते हुए अपना इकबालिया बयान दिया गया ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 218/2020 धारा 302,201 IPC व बढ़ोत्तरी 3(2)5 SC/ST ACT थाना कलवारी जनपद बस्ती।

2.मु0अ0सं0 220/2020 धारा 307 IPC थाना कलवारी जनपद बस्ती ।

3.मु0अ0सं0 221/2020 धारा 3/25 /27 A ACT थाना कलवारी जनपद बस्ती ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1. एसओजी प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश मिश्र
2. प्रभारी थानाध्यक्ष कलवारी श्री दुरविजय
3. सर्विलांस प्रभारी श्री जितेंद्र सिंह
4. उपनिरीक्षक श्री राकेश कुमार मिश्र
5. कांस्टेबल आदित्य पांडे, कांस्टेबल गुरुदेव कुमार ,कांस्टेबल बुद्धेश कुमार ,कांस्टेबल राम सुरेश यादव, कांस्टेबल दिलीप कुमार, कांस्टेबल अजय यादव SOG टीम जनपद बस्ती।
6. कांस्टेबल जनार्दन प्रजापति, कांस्टेबल सर्वेश नायक, कांस्टेबल जितेंद्र यादव, कांस्टेबल संतोष यादव सर्विलांस सेल जनपद बस्ती ।
7. कांस्टेबल कृष्ण हरि, कांस्टेबल प्रदेश ,कांस्टेबल विमलेश थाना कलवारी जनपद बस्ती ।